

कार्यालय महालेखाकार (लेखा. एवं हक.), उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

पत्रांक 187/विधि एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ/2025-26/19

दिनांक: 21.04.2025

परिपत्र

मुख्यालय से दिनांक 19.03.2025 को प्राप्त पत्र के सन्दर्भ में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। भारत के संविधान के भाग V के अनुच्छेद 148 से 151 में प्रासंगिक प्रावधान दिए गए हैं। उक्त अनुच्छेद को पुनः नीचे प्रस्तुत किया गया है-

“148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- (1) भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस अपर अपने हस्ताक्षर करेगा।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) की भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) के कर्मचारियों की सेवा/पात्रता के मामलों में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में दिन-प्रतिदिन संबंधी निर्णय लेने एवं सेवा/पात्रता के मामलों की देख-रेख करने हेतु उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Dy. CAG)-मानव संसाधन (HR) उत्तरदायी प्राधिकारी है।

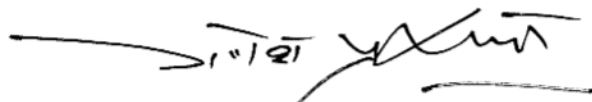
तदनुसार, मुख्यालय द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन), भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में इन सेवा मामलों में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रखते हैं।

हस्ता०/-

वरि. उपमहालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन एवं निधि) प्रकोष्ठ।
3. उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी.) प्रकोष्ठ।
4. वरि. लेखाधिकारी/आई.टी.एस.जी. को इस अनुरोध के साथ कि सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को परिचालित करने और कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सूचना पट्ट।
6. आधिकारिक WHATSAPP ग्रुप।



वरि. लेखाधिकारी
(विधि एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)